



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : समर्पण/2018/
प्रकरण सं. 638 वर्ष 2017

85649 860

दिनांक : 28/02/2018

स्वास्तिक लक्जरी बिल्डस्काई LLP

पता 97, 98 सुजुकी इन्क्लेव चित्तौड़ रोड़ भीलवाड़ा
जरिये पार्टनर ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र तोषनीवाल
सा. भीलवाड़ा

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन
कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान
करने।

आदेश

28
दिनांक : 28/02/2018

मामलें के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील व जिला भीलवाड़ा

खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्र
स्वास्तिक लक्जरी बिल्डस्काई LLP पता 97, 98 सुजुकी इन्क्लेव चित्तौड़ रोड़ भीलवाड़ा जरिये पार्टनर ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र तोषनीवाल सा. भीलवाड़ा	पांसल	2581/7 रकबा 0-05 बीघा, 2583 रकबा 1-12 बीघा, 2583/1 रकबा 0-11 बीघा	6-18 बीघा
स्वास्तिक लक्जरी बिल्डस्काई LLP पता 98 सुजुकी इन्क्लेव चित्तौड़ रोड़ BHL	पांसल	2564/1 रकबा 1-10 बीघा, 2564/2 रकबा 1-10 बीघा, 2564/3 रकबा 1-10 बीघा	

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने भू-अभिलेख निरीक्षक, स्थानीय प्राधिकारी एवं भूमिधारी तहसीलदार भीलवाड़ा की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास

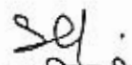
योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदक को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि आराजी नंबर 2581/7 रकबा 0-05 बीघा, 2583 रकबा 1-12 बीघा, 2583/1 रकबा 0-11 बीघा, 2564/1 रकबा 1-10 बीघा, 2564/2 रकबा 1-10 बीघा, 2564/3 रकबा 1-10 बीघा की ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक

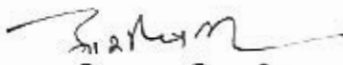
27/02/2018 को पारित किया गया।

28


प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी -

1. जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा।
2. सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
3. तहसीलदार भीलवाड़ा को पूर्वोक्त भूमि को नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम नामान्तरण करने और आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्तक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4. श्री ओमप्रकाश तिवाड़ी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, न्यास हाजा को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को न्यास की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. स्वास्तिक लक्जरी बिल्डस्काई LLP पता 97, 98 सुजुकी इन्क्लेव चित्तौड़ रोड़ भीलवाड़ा जरिये पार्टनर ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र तोषनीवाल सा. भीलवाड़ा


प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा